FSSAI द्वारा "100% फलों का रस" के झूठे दावों पर कार्रवाई

स्रोत: द हिंदू

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) द्वारा विनिर्माताओं या **खाद्य व्यापार संचालकों (Food Business Operators- FBO)** को जारी निर्देश के अनुसार, पुनर्निर्मित रस से तैयार उत्पादों पर **"100% fruit juice"** (यानी 100% फलों का जूस) के नए दावे को हटा दिया जाना चहिये।

- **पुनर्निर्मित रस,** सांद्रित फलों के रस में पुनः जल मिलाकर बनाया जाता है।
- FSSAI का उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाना है, जो यह मानते हैं कि उन्हें शुद्ध एवं बिना मिलावट वाला जूस मिल रहा है।

प्रमुख विनियम:

- कोई **"100% जूस" दावा नहीं: विज्ञापन और दावा विनियमन (2018)** के अनुसार, किसी भी फल के रस उत्पाद के लिये ऐसे दावों की **अनुमति नहीं** है।
- **"पुनर्निर्मित" लेबलिंग: खाद्य उत्पाद मानक एवं योज्य विनियम (2011)** के अनुसार पुनर्गठित जूसों में घटक सूची में स्पष्ट रूप से "पुनर्निर्मित" लिखा होना चाहिये।
- **"स्वीटनर पारदर्शिता:** 15 ग्राम/किलोग्राम से अधिक पोषक स्वीटनर वाले जूस पर "मीठा जूस" का लेबल लगाया जाना चाहिये।

FSSAI

- **इसकी स्थापना** खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (2006) के तहत की गई है।
- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के **अधीन एक स्वायत्त निकाय है**।
- **मिशन:** विश्व स्तरीय खाद्य सुरक्षा मानक स्थापित करना,सुव्यवस्थित विनिर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देना तथा खाद्य व्यवसाय नियमों का पालन सुनिश्चित करना।

//

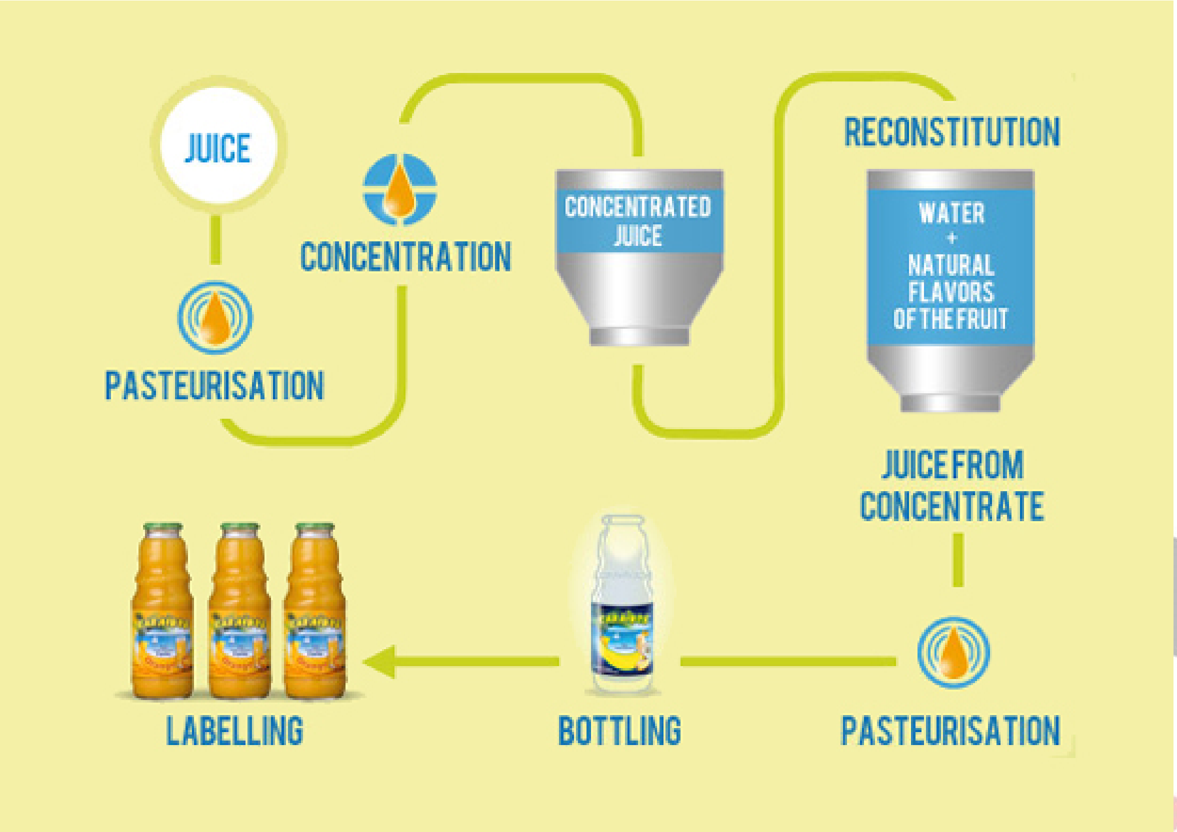

और पढ़ें: भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), FSSAI खाद्य सुरक्षा नियमों को सुव्यवस्थित करेगा

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/fssai-cracks-down-on-misleading-100-fruit-juice-claims